न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद इस्तगासा प्रार्थना पत्र सख्या 10/2022

सरकार बनाम हुसैन काठात

विविध (सुपुर्दगीनामा) प्रार्थना पत्र संख्या 11/2022

श्री मोहम्मद मुनीर पुत्र श्री नासिर काठात, जाति काठात निवासी–लोढो का बाडिया, बायड ब्यावर जिला–अजमेर। ....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, अजमेर। ....अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री कैलाश सिंह — अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री नीरज जैन — पेरोकार सरकार।

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 451व 457 सी आर पी सी वास्ते जब्त शुदा वाहन पिकअप सं. RJ 14–G J–0825 को सुपुर्दगी नामे पर छोड़ने बाबत

आदेश

दिनांक–4.05.2022

प्रार्थी श्री मोहम्मद मुनीर पुत्र श्री नासिर काठात निवासी–लोढो का बाडिया, बायड ब्यावर जिला अजमेर की ओर से उनकें अभिभाषक ने प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुलिस थाना ब्यावर जिला अजमेर द्वारा उपराध अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही कर वाहन पिकअप सं0 RJ 14-GJ - 0825 को दिनांक 23.2.2022 को हुसैन काठात से जब्त किया गया। प्रार्थी उक्त वाहन का एक मात्र रजिस्टर्ड स्वामी है। यह वाहन प्रार्थी की आजीविका का साधन है व प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन को हुसैन काठात को किराये पर चलाने के लिए दिया गया था। पुलिस द्वारा वाहन सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही, अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है। अब प्रकरण में उनको उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं है। मूल प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी का उक्त वाहन खुले में पडे रहने से खराब होने की संभावना है। प्रार्थी का मुकदमें से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगीनामे पर छुडवाने के लिए न्यायालय के आदेशानसार सुपुर्दगीनामा देने के लिए तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त वाहन को सुर्पुदगीनामें पर छोडने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रा0 पत्र बाबत जिला रसद अधिकारी अजमेर एवं पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला–अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई। प्रार्थी द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

Ansh

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्त्ता अभिभाषक ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पुलिस द्वारा की गई तफतीश में उपरोक्त वाहन बाबत कोई अनुसंधान शेष नहीं है,पुलिस को अब इस वाहन की आवश्यकता नही है। जबकि थाने में वाहन खड़ा–खड़ा खराब हो रहा है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वाहन पिकअप सं0 RJ 14-GJ -0825 सुपुर्दगीनामें पर छोड़ने का आदेश प्रदान करावें।

जवाब मे पेरोकार सरकार ने कथन किया कि दिंनाक 23.02.2022 को पुलिस थाना ब्यावर सदर के दल, उपअधीक्षक ब्यावर द्वारा कार्यवाही कर हुसैन काठात के बाडे से पेट्रोलियम पदार्थ पकडा गया। इसकी सूचना जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वितीय को दिये जाने पर रसद विभाग का जांच सदर थाना ब्यावर पहूंचने पर उपस्थित ए.एस.आई चेतन सिंह ने अवगत करवाया कि दिनांक 23.2.2022 को प्राप्त सूचना पर उपअधीक्षक ब्यावर के निर्देशन एवं उपस्थित में की गई कार्यवाही में हुसैन काठात के बाडे में उक्त वाहन पिकअप सं0 RJ 14-GJ -0825 में दो ड्रम एवं नोजल मशीन रखी थी। एक ड्रम में पेट्रोलियम पदार्थ भरा था। बाडे में दो ट्रेलर, एक मोटर साईकिल, एक पिक–अप खाली, एक खाली जरीकेन प्लास्टिक का 50लीटर क्षमता का जमीन पर पडा था। उक्त सभी वाहन/सामग्री को थाना सदर लाया गया। जिला रसद अधिकारी एक प्रवर्तन दल द्वारा थाना ब्यावर सदर पर उक्त सामग्री का निरीक्षण किया गया। पिकअप में 1000 लीटर क्षमता के दो प्लास्टिक के ड्रम जिसमें एक में 700 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा था एवं एक नोजल मशीन पाईप से जुडी हुई रखी थी। वाहन पिकअप सं0 RJ 14-GJ -0825 के ड्राईवर हुसैन काठात ने बताया कि जब्त पिकअप किराये की है तथा वह पिक अप का ड्राईवर है। पिकअप ड्राईवर हुसैन काठात ने बताया कि वह पेट्रोलियम पदार्थ 80/– रूपये लीटर की दर से वाहनो में उपयोग हेतु विक्रय करता है। मौके से लाये गये दोनों ट्रेलरों के ड्राईवरो द्वारा हुसैन काठात के बाडे से तेल भरवाने से साफ इन्कार किया गया। हुसैन काठात द्वारा अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण/व्यवसाय करना पाया जाने पर जब्ती कार्यवाही कर वाहन पिकअप सं0 RJ 14-GJ -0825 एवं इसमें रखे प्लास्टिक के दो ड्रम जिसमें एक में 700 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा था, नोजल मशीन मय पाईप, पेट्रोलियम पदार्थ, खाली जरीकेन प्लास्टिक का 50 लीटर क्षमता का, कब्जे राज लिया जाकर थाना सदर ब्यावर को सुपुर्दगी में दिया गया। नियम विरूद्ध पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण एवं व्यवसाय मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और विवरण का विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लघन है। आरोपियों का कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम –1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त शुदा वाहन को राजसात किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमनें उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया। रेकार्ड पत्रावली का सम्बन्धित प्रकरण सं0 11/2022 अन्तर्गत धारा 6A आवश्यक वस्तु अधिनियम सरकार बनाम हुसैन काठात के सहित अवलोकन किया गया। उपअधीक्षक ब्यावर मय पुलिस जाब्ता की गई कार्यवाही एवं जिला रसद अधिकारी एक प्रवर्तन दल द्वारा थाना ब्यावर सदर पर बाद निरीक्षण संयुक्त रूप से कार्यवाही में हुसैन काठात द्वारा अपने बाडे में नियम विरूद्ध पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण एवं व्यवसाय किया जाना पाये जाने पर ही अन्य सामग्री एवं पेट्रोलियम पदार्थ के साथ वाहन पिकअप सं0 RJ 14-GJ -0825 को जब्त किया गया है। आरोपियों का उक्त कृत्य मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट मिर्ज़ा (अजमेर)

और विवरण का विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। आरोपियो द्वारा किये गये उपरोक्त अवैद्य कृत्य के तहत जब्त शुदा उक्त सामग्री व वाहन को राजसात किये जाने के आदेश हेतु धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण सं0 10/2022 इस न्यायालय में विचाराधीन है। **इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है। चूंकि** उक्त वाहन पिकअप सं0 RJ 14-GJ -0825 का उपयोग उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जबकि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अनुसार इस वाहन को सुपुर्दगी नामें पर दिए जाने का निवेदन किया है। जब्त सुदा वाहन को राजसात करने के आदेश से पूर्व आवश्यक वस्तु अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के मध्यनजर जब्त सुदा वाहन द्वारा परिवहन की जा रही सामग्री के बाजार मूल्य तक की समान राशि जमा कराने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन वाहन पिकअप सं0 RJ 14-GJ -0825 को 1000 लीटर की क्षमता वाले दो ड्रम जिसमें एक में 700 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के साथ जब्त किया गया है। तथा वर वक्त जब्ती कार्यवाही उक्त वाहन के ड्राईवर हुसैन काठात द्वारा जब्त पेट्रोलियम पदार्थ 80/– रूपये लीटर की दर से वाहनो में उपयोग हेतु विक्रय किया जाना स्वीकार किया गया है। लिहाजा 80/– रूपये प्रति लीटर की दर से वाहन पिकअप सं0 RJ 14-GJ -0825 पर रूपये 56,000/–अक्षरे छप्पन हजार की शास्ति आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर वाहन पिकअप सं0 RJ 14-GJ -0825 को अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद स्वामित्व बाबत संतुष्टि के सम्बन्धित को सुपुर्द कर दिये जाने के आदेश जिला रसद अधिकारी अजमेर को दिए जाते है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर, प्राप्त शास्ति राशि नियमानुसार राज कोष में जमा करावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.05..2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर।